राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति

सरकार ने वर्ष 2005 में श्री एस. सुन्दर, भूतपूर्व सचिव (भूतल परिवहन मंत्रालय) की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन संबंधी स्थायी निकाय बनाने पर विचार करने और संस्तुतियां करने हेतु एक समिति का गठन किया । तत्पश्चात, समिति से सरकार के विचारार्थ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति तैयार करने का अनुरोध भी किया गया । समिति ने फरवरी, 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति का मसौदा भी प्रस्तुत किया ।

सुन्दर समिति की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 15.03.2010 को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति का अनुमोदन किया । राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति देश में सभी स्तरों पर सड़क सुरक्षा गतिविधियों में सुधार के लिए सरकार द्वाराकी जाने वाली पहलों/किए जाने वाले उपायों को रेखांकित करती है ।

I. प्रस्तावना

1. हाल के वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं, घायल होने और मृत्यु की संख्या में वृद्धि से भारत सरकारबहुत ही चिंतित है । इसका मानना है कि सड़क दुर्घटनाएं अब जन-स्वास्थ्य के संबंध में एक व्यापक प्रश्न बन चुकी हैं और इसके शिकार मुख्यतः गरीब और अरक्षित सड़क प्रयोक्ता होते हैं ।

2. भारत सरकार यह भी मानती है कि चूंकि सड़क दुर्घटनाओं में सड़कों, मोटर वाहनों और मानवीय जीवन का भी समावेश है, अतः सड़क सुरक्षा पर संपूर्णता से विचार किया जाना आवश्यक है । इसका यह भी मानना है कि क्षेत्राधिकारों पर ध्यान न देते हुए, केन्द्रीय और राज्य सरकारों का यह संयुक्त उत्तरदायित्व है कि वे सड़क दुर्घटनाओं, घायल होने और मृत्यु होने के मामलों में कमी लाएं ।

3. उपर्युक्त के आलोक में, भारत सरकार, इस राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों और अशक्तता के मामलों में महत्वपूर्ण कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध है ।

II. नीतिगत विवरण

सड़क सुरक्षा में महत्वपूर्ण सुधार प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार निम्नलिखित के प्रति प्रतिबद्ध है:-

(i) सड़क सुरक्षा के मामले में जागरूकता बढ़ाना

सरकार सड़क सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं, सड़क दुर्घटनाओं के सामाजिक- आर्थिक प्रभावों और सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते हुए खतरों को रोकने के लिए क्या उपाय आवश्यक हैं, के संबंध में जागरूकता बढाने के अपने प्रयासों को तेज करेगी । इससे विभिन्न हितधारकों को सड़क सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रति सक्षम और सशक्त होने में मदद मिलेगी ।

(ii) सड़क सुरक्षा सूचना डाटाबेस की स्थापना

सरकार स्थानीय निकायों, संघ शासित क्षेत्रों और राज्यों को दुर्घटनाओं की जांच और डाटा संग्रहण, संप्रेषण और विश्लेषण में सुधार हेतु सहायता उपलब्ध कराएगी । इस गतिविधि को निरंतरता और नीति निर्देशन उपलब्ध कराने हेतु एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सूचना प्रणाली स्थापित की जाएगी ।

(iii) बेहतर सुरक्षित सड़क अवसंरचना सुनिश्चित करना

सरकार ग्रामीण और शहरी सड़कों के डिजाइन में सुरक्षा संबंधी मानकों की समीक्षा करने के उपाय करेगी और उन्हें भारतीय यातायात संबंधी परिस्थितयों को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम अन्तरराष्ट्रीय पद्धतियों के अनुरूप बनाएगी । राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आसूचना परिवहन प्रणाली को निरंतर लागू करते हुए सुरक्षित और कुशल परिवहन प्रणाली को प्रोत्साहित किया जाएगा ।

(iv) सुरक्षित वाहन

सरकार यह सुनिश्चित करने के उपाय करेगी कि मोटर चालित और गैर मोटर चालित दोनों वाहनों के डिजाइन, निर्माण, प्रयोग, प्रचालन और अनुरक्षण अवस्था में अन्तरराष्ट्रीय मानकों और पद्धतियों के अनुसार हों ताकि सड़क प्रयोक्ताओं (पैदल और बाइसाइकिल चालकों सहित) और अवसंरचना पर प्रतिकूल सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रभाव कम किए जा सकें ।

(v) सुरक्षित वाहन चालक

सरकार वाहन चालकों को लाइसेंस देने और उनको प्रशिक्षण देने की प्रणाली को सुदृढ़ करेगी ताकि वाहन चालकों की क्षमता और सक्षमता में सुधार हो सके ।

(vi) अरक्षित सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा

सभी सड़क सुविधाओं (ग्रामीण और शहरी) का डिजाइन और निर्माण करते समय गैर-मोटर-चालित और अरक्षित तथा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की आवश्यकताओं का उपयुक्त ध्यान रखा जाएगा । सरकार 'सर्वोत्तम पद्धतियों' से संबंधित जानकारी नगर योजनाकारों, वास्तुविदों और राजमार्ग तथा यातायात अभियंताओं को उपलब्ध कराएगी ।

(vii) सड़क यातायात सुरक्षा शिक्षण और प्रशिक्षण

शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रचार अभियानों के माध्यम से जनमानस में सड़क सुरक्षा का ज्ञान और जागरूकता पैदा की जाएगी । सड़क सुरक्षा शिक्षा स्कूली बच्चों और कालेज जाने वाले विद्यार्थियों पर भी केन्द्रित होगा जबकि सड़क सुरक्षा प्रचार अभियान का उपयोग समुदाय में सुरक्षित सड़क पद्धतियों को बढ़ाने में किया जाएगा । सरकार सड़क डिजाइन, सड़क निर्माण, सड़क नेटवर्क प्रबंधन, यातायात प्रबंधन तथा कानून लागू करने से संबंधित सभी पेशेवरों को सड़क सुरक्षा मामलों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगी ।

(viii) सुरक्षा कानूनों को लागू करना

सरकार विभिन्न राज्य और अन्य सरकारों द्वारा सुरक्षा नियमों के प्रभावी और समान रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कानून लागू करने की प्रणाली को सुदृढ़ करने और उसमें गुणात्मक सुधार लाने के लिए उपयुक्त उपाय करने में सहायता करेगी । सरकार राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के सहयोग से उपयुक्त राजमार्ग पैट्रोलिग की स्थापना और सुदृढ़ीकरण को सक्रियता से प्रोत्साहित करेगी ।

(ix) सड़क दुर्घटनाओं के लिए आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं

सरकार यह सुनिश्चित करने के प्रयास करेगी कि सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित व्यक्तियों को प्रभावी अभिघात(ट्रोमा) देखभाल और प्रबंधन का त्वरित लाभ मिले । ऐसी सेवा के कार्यों में बचावकार्य और दुर्घटना स्थल पर प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने सहित पीड़ित व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल ले जाना शामिल होगा । राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों से लगे हुए अस्पताल अभिघात (ट्रोमा) देखभाल के लिए पर्याप्त रूप से सज्जित होंगे ।

(x) सड़क सुरक्षा के लिए मानव संसाधन विकास और अनुसंधान

अग्रता क्षेत्रों की पहचान कर सड़क सुरक्षा अनुसंधान कार्यक्रमों में वृद्धि,उन क्षेत्रेां में अनुसंधान हेतु पर्याप्त निधि पोषण, अनुसंधान और शैक्षिक संस्थानों में उत्कृष्ट केन्द्रों की स्थापना को सरकार प्रोत्साहित करेगी । सरकार अनुसंधान के परिणामों की जानकारी प्रकाशन, प्रशिक्षण, सम्मेलनों, कार्यशालाओंऔर वैबसाइटोंके माध्यम से उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करेगी ।

(xi) सड़क सुरक्षा के लिए विधिक, संस्थागत और वित्तीय पर्यावरण का सुदृढ़ीकरण

सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी कि सड़क सुरक्षा के लिए अपेक्षित विधिक, संस्थागत और वित्तीय पर्यावरण को और सुदृढ़ किया जाए और विभिन्न हितधारकों के प्रभावी समन्वय के लिए तंत्र स्थापित हो । इन क्षेत्रों में सुधार निजी क्षेत्र, शिक्षाविदों और गैर सरकारी संगठनों के समुदायों की सक्रिय और प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित कराऐंगे ।

III. कार्यान्वयन रणनीति

सरकार ने सड़क सुरक्षा से संबंधित मामलों को देखने और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति के कार्यान्यन हेतु प्रभावी रणनीति तैयार करने के लिए एक समर्पित एजेंसी अर्थात राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड की स्थापना का निर्णय लिया है । सरकार ने गैसोलीन और डीजल पर एक निश्चित प्रतिशत उपकर के माध्यम से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा निधि की स्थापना का भी निर्णय लिया है ।